(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 698-दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 2-5-11 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 887-दो/2010.

जैरू उर्फ जहीरूद्दीन पुत्र जलाउद्दीन
उर्फ जल्ला जाति मुसलमान
निवासी ग्राम बालापुरा तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- नीसार पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान
निवासी ग्राम बगवाज तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0

2- म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर ---- अनावेदकगण

श्री आर0 डी0 शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक.
अनावेदक क्रमांक - एक पक्षीय.
श्री राजीव गौतम, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक-2.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15 / 2/2016 को पारित)

.....

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 887-दो/2010 में पारित आदेश दिनांक 2-5-11 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत पेश किया गया है ।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बगबाज स्थित भूमि खसरा नंबर 501 एवं 502 रकबा क्रमशः 18 बिस्वा एवं 1 बीघा 17 विस्वा भूमि का व्यवस्थापन विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत आदेश दिनांक 16-4-95 द्वारा

किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष 6 वर्ष अधिक समय उपरांत दिनांक 5-11-2001 को आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर पट्टा खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.9.03 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश की जो इस आधार पर पेश की गई कि प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आता है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है । राजस्व मंडल के इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन पेश किया गया है ।

3/ पुनरावलोकन में वर्णित तथ्यों पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि आलोच्य आदेश में कुछ ऐसी प्रत्यक्ष भूलें हैं जिनके कारण पुनरावलोकन योग्य है । आवेदक को भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार द्वारा म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत किया गया है नाकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत । जबकि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अधीन मानकर आदेश पारित किया है जो प्रत्यक्षदर्शी भूल है । आवेदक ने निगरानी मेमो में जो तर्क दिए थे और जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किये थे उन पर विचार नहीं हो सका है, यह अभिलेख से दर्शित प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है एवं पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है । इस कारण आलोच्य आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है ।

गुणदोषों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को विधिवत प्रकिया अपना कर दिया गया है । दोनों राजस्व न्यायालयों द्वारा उक्त प्रकरण का अवलोकन किये बिना मनमाने तौर पर आदेश पारित किया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 को उक्त व्यवस्थापन आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह प्रकरण में पक्षकार नहीं था और ना ही

उसका प्रश्नाधीन भूमि से कोई संबंध है । उसे निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1992 आर0एन0 402 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निगरानी 6 वर्ष से अधिक विलंब से पेश की गई थी जो प्रचलन योग्य नहीं थी । कलेक्टर को इसी आधार पर निगरानी को निरस्त करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि यदि कलेक्टर के आदेश को स्वमेव निगरानी अधिकारों के तहत भी माना जाये तब भी कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उक्त आदेश तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश के 8 वर्ष उपरांत पारित किया गया है । जबकि संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय में ही किया जाना चाहिए । उन्होंने तर्क दिया कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदक ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है । सिंचाई के साधन किये हैं । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, I.L.R. (2011) M.P. 1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) एवं 2009 आर.एन. 251 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि माननीय सिविल जज वर्ग-1 श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 9-4-2003 द्वारा आवेदक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है जबकि सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं । अंत में यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा आलोच्य आदेश एवं कलेक्टर तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक - 1 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ अनावेदक क्रमांक - 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अधीनस्थ दोनों न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए पुनरावलोकन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । जहां तक आलोच्य आदेश का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा आवेदक की निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई है कि मूल प्रकरण बंटन से संबंधित है और भूमि का बंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत किया जाता है, और राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अभिलेख को देखने से आलोच्य आदेश पुष्टि योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक को भूमि का व्यवस्थान म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दल रहित भूमि परभूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत किया गया है ना कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत । उक्त त्रुटि अभिलेख से स्पष्ट दर्शित है, इस कारण इस प्रकरण में पुनरावलोकन के पर्याप्त आधार हैं ।

7/ जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का प्रश्न है । अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि व्यवस्थापन का आदेश दिनांक 16-4-95 को दिया गया है, इसके उपरांत अनावेदक क्रमांक - 2 द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश कर तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है, जिस पर से कलेक्टर ने आदेश पारित करते हुए तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर भूमि शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में कलेक्टर एवं आयुक्त के आदेश विधिसम्मत नहीं है । अभिलेख में व्यवहार न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरण क्रमांक 1ए/03 में पारित आदेश दिनांक 9-4-03 जो आवेदक एवं अनावेदक म0प्र0 शासन के मध्य प्रचलित हुआ है की प्रति संलग्न है, इस प्रकरण इस निर्णय में विद्वान न्यायालय द्वारा वाद बिंदु क्रमांक 1 निर्धारित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी है । उक्त वाद बिंदु के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाकर हां में उत्तर दिया गया है अर्थात व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी मान्य किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है और व्यवहार न्यायालय के विपरीत ना तो कोई निष्कर्ष निकाला

जा सकता है और ना ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है । स्पष्ट है कि कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

8/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 16-4-95 को 6 वर्ष उपरांत अनावेदक कमांक 2 द्वारा स्वमेव निगरानी मे लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आदेश 30.9.2003 को आदेश पारित किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों एवं प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में 6 वर्ष की अवधि प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । इसके अतिरिक्त यदि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो स्थिति यह बनती है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त अवधि में नहीं की गई है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 50 - जब किसी पक्षकार को बहूमूल्य अधिकार प्राप्त हो जायें तब विलंब से किया गया पुनरीक्षण अवधि बाधित है और ऐसा विलंब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है तथा धारा 50 भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के

लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता । दर्शित परिस्थिति में एवं उपरोक्त उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनरावलोकन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 887-दो/2010 में पारित आदेश दिनांक 2-5-11, आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/08-09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-2-10 तथा कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्र0क्र0 82/2001-2002/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2003 निरस्त किए जाते हैं । परिणामतः तहसीलदार, श्योपुर द्वारा प्र0क्र0 494/94-95/अ-19 में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 16-4-95 (जिसके द्वारा आवेदक के हित में ग्राम बगवाज की भूमि सर्वे नंबर 501 एवं 502 रकबा 18 बिस्वा एवं 1 बीघा 17 बिस्वा का व्यवस्थापन किया गया है) स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर